झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या –वा0कर1 / वैट / विविध / 5 / 2008– 1663 (अनु0) / राँची, दिनांक– 5/7/11
प्रेषक,

श्रीमती अलका तिवारी,
सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (अपील),
सभी अंचल प्रभारी,

विषय वाणिज्य–कर विभाग में e-governance की प्रकिया के अधीन e-registration की प्रकिया संबंधित संकल्प के संबंध में ।

महोदय,

मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अधीन कर–व्यवस्था को स्वतः–स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Dealers-friendly) बनाने पर विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही निकट भविष्य में **"वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली"** के लागू होने की स्थिति में कर प्रणाली का पूर्ण स्वचालन (Automation) अपेक्षित है। उक्त स्वचालित प्रकिया के सफल कियान्वयन के उद्देश्य से, विभागीय प्रकियाओं की ऑन–लाईन सुविधाएं प्रारंभ करने के कम में विभागीय निबंधन प्राप्त करने हेतु ऑन–लाईन निबंधन आवेदन समर्पण की प्रकिया दिनांक 05.07.2011 को प्रारंभ की जा रही है।

उक्त उद्देश्य हेतु निर्गमित संकल्प की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

अनु–संकल्प।

A. Tiwari 4/7/11
सचिव–सह–आयुक्त,
वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सत्यमेव जयते


# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 102 — 12 माघ, 1932 शकाब्द

राँची, मंगलवार 1 फरवरी, 2011


## वाणिज्य-कर विभाग

------

### संकल्प

1 फरवरी, 2011

विषय :- वाणिज्य-कर विभाग में e-governance की प्रकिया के अधीन e-registration की प्रक्रिया विहित करने के संबंध में ।

संख्या 211--झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 'स्वचालन' के अधीन सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए तथा प्रासंगिक एवं संबद्ध मामलों के लिए ''स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली'' की स्थापना करने के लिए संकल्प निर्गत कर सकती है। कर-प्रणाली के स्वचालन का उदेश्य एक स्वत:स्फूर्त, पारदर्शी, राजस्वोन्मुखी तथा dealers-friendly व्यवस्था स्थापित करना है।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 एवं 26 तथा सुसंगत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3 के आलोक में e-registration की प्रकिया विहित की जा रही है, जो निम्नवत् होगी :-

1. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा तत्संबंधी नियमावली के अधीन निबंधन की अनुमान्यता होने पर व्यवसायी द्वारा JVAT 101 में आवेदन समर्पित करने का प्रावधान है। Online submission of Application for Registration के लिए भी व्यवसायी JVAT 101 तथा संलग्न Annexure I, Annexure II तथा Annexure III के साथ आवेदन देंगे । (झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 का नियम **3(i), 3(v), 3(x)(a) , 4(i) and 11 (2)** द्रष्टव्य)

आवेदन देने हेतु व्यवसायी को विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.nic.in या http://www.jharkhand.gov.in के Public portal पर जाकर अपना profile बनाना होगा। उक्त profile में व्यवसायी अपने नाम, पता, अंचल के नाम, ई-मेल पता एवं मोबाईल नं० की प्रविष्टि करेंगे ।

तदोपरांत सिस्टम एक Secret Code/ Password Generate करेगा, जो व्यवसायी के मोबाईल में स्वतः Transmit हो जाएगा ।

2. आवेदक व्यवसायी द्वारा उपर्युक्त विधि से प्राप्त Secret Code को Screen पर Type करना होगा। Secret Code के valid होने की स्थिति में JVAT 101 (विहित निबंधन आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट सहित) का विकल्प Screen पर दिखाई पड़ेगा ।
3. आवेदक व्यवसायी को निबंधन प्रमाण पत्र JVAT 101 को परिशिष्ट सहित भरकर Submit button को Click करना होगा जिसके फलस्वरूप सिस्टम द्वारा एक Acknowledgement Number, Receipt सहित स्वतः निर्गत हो जाएगा ।
4. अंचल प्रभारी द्वारा ऐसे प्राप्त ऑन-लाईन दाखिल आवेदनों को सत्यापित किया जाएगा ।

तदोपरांत उनके द्वारा आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के अन्दर व्यवसायी को एक SMS/e-mail प्रेषित किया जाएगा, जिसके द्वारा व्यवसायी को एक निर्धारित तिथि एवम् समय में आवश्यक कागजात के साथ Security bond सहित कार्यालय में उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी ।

आवेदक व्यवसायी का आवेदन अयोग्य पाए जाने की स्थिति में, SMS/e-mail के द्वारा कारण सहित संबंधित सूचना आवेदक व्यवसायी को दी जाएगी ।

5. आवेदक व्यवसायी हस्ताक्षरित आवेदन की प्रति तथा आवश्यक कागजातों (Security bond) सहित, अंचल प्रभारी के समक्ष उपस्थित होंगे ।

अंचल प्रभारी उपस्थापित कागजातों की जॉंच/प्रतिसत्यापन करेंगे ।

6. समस्त कागजातों की जॉंच होने तथा अंचल प्रभारी की संतुष्टि के उपरांत उनके द्वारा TIN तथा निबंधन प्रमाण पत्र (JVAT 106) निर्गत कर दिया जाएगा ।
7. इस प्रकार व्यवसायी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों तथा Security bond के समर्पित करने के उपरांत TIN तथा निबंधन प्रमाण पत्र (JVAT 106) एक साथ निर्गत किया जाएगा । आवेदन प्रपत्र तथा आवश्यक कागजात समर्पित करने के पॉंच दिनों के अन्दर TIN तथा निबंधन प्रमाण पत्र (JVAT 106) किया जाना आवश्यक है ।
8. उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर TIN तथा निबंधन प्रमाण-प्रत्र निर्गत करने प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित अंचल प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जाएगें ।
9. विभागीय परिपत्र संख्या **941** दिनांक **02 मार्च, 2010** को निरस्त किया जाता है ।
10. संकल्प निर्गमन की तिथि से उपरोक्त e-registration की प्रकिया प्रभावी होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अलका तिवारी,**
सचिव-सह-आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

--------

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102--150+500 ।